

अध्याय III: निगम कर

3.1 प्रस्तावना

3.1.1 इस अध्याय में 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा किए गए निगम कर से संबंधित निर्धारणों की लेखापरीक्षा के परिणाम पर चर्चा की गई है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान निगम निर्धारितियों द्वारा कुल 7.99 लाख रिटर्न⁵⁶ दाखिल किए गए। आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल 1,12,685 निगम कर संवीक्षा निर्धारण और उन इकाइयों में पहले के वर्षों में 27,738 निगम कर संवीक्षा निर्धारण पूरे किये, जिनकी 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा की गयी थी। कुल 1,40,423 निगम कर संवीक्षा निर्धारण में से, हमने 1,11,212 निगम कर संवीक्षा मामलों (वित्तीय वर्ष 2017-18 से संबंधित 99,316 निर्धारण मामले और पूर्ववर्ती निर्धारण वर्षों से संबंधित 11,896 निर्धारण मामले) की जाँच की और 7,446 निर्धारणों में गलतियाँ पाईं। 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा में जांच किए गए निगम कर संवीक्षा निर्धारणों में त्रुटियों का होना 6.70 प्रतिशत था जो 2017-18 के दौरान तदनुसूची आंकड़े (8.15 प्रतिशत) से कम था। चूँकि हमने अपने नमूने के अनुसार सीमित संख्या में निर्धारण मामलों/रिकॉर्डों की जांच की है, मंत्रालय को इसे पूरी तरह से सत्यापित करने की आवश्यकता है। त्रुटियों की प्रकृति एसटी में मानवीय हस्ताक्षेप की ओर संकेत करती है। विभाग को ऐसी त्रुटियों की जांच करने तथा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

3.1.2 जुलाई 2019 से नवंबर 2019 के दौरान कुल 316 उच्च मूल्य-निर्धारण कर मामलों को मंत्रालय को भेजा गया था। इनमें से 304 मामलों में ₹ 7,977.77 करोड़ का अवप्रभार और 12 मामलों में ₹ 232.66 करोड़ का अधिप्रभार⁵⁷ शामिल है। गलत निर्धारण के ये मामले आयकर विभाग की निर्धारण प्रक्रियाओं में आंतरिक नियंत्रण में कमजोरियों की ओर इशारा करते हैं।

3.1.3 त्रुटियों की श्रेणियों को मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

- निर्धारणों की गुणवत्ता
- कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन

⁵⁶ स्रोत : सीबीडीटी

⁵⁷ अधिप्रभार सही आंकड़ों को अपनाने में चूक, आय की गणना में अंक-गणितीय त्रुटियों, कर/ब्याज की दरों का गलत लागू करना आदि के कारण होता है।

- त्रुटियों के कारण निर्धारण से छूट गयी आय
- अन्य-कर/ब्याज आदि का अधिप्रभार

आयकर अधिनियम, 1961 की धाराएँ 234ए, 234बी, 234सी और 244ए के अंतर्गत ब्याज की गणना के संबंध में निर्धारण सूचना प्रणाली⁵⁸ (एएसटी) मॉड्यूल/आयकर कारोबार अनुप्रयोग⁵⁹ (आईटीबीए) में देखी गई कमी को इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अध्याय V में अधिनियम की ब्याज की धाराएँ 234ए, 234बी, 234सी और 244ए पर SSCA के अंतर्गत अलग से दिया गया है। तालिका 2.10 (पैरा 2.4.4) निर्धारण में गलतियों की व्यापक श्रेणियों और उनके कर प्रभाव का विवरण दर्शाती है।

3.1.4 मंत्रालय ने ₹ 89.33 करोड़ के कर प्रभाव वाले पांच मामलों को स्वीकार नहीं करते हुए ₹ 828.03 करोड़ के कर प्रभाव वाले 82 मामलों के संबंध में लेखापरीक्षा अभियुक्तियों की अपनी स्वीकृति दी है। एक मामले में मंत्रालय ने आंशिक रूप से ₹ 118.45 करोड़ के कर प्रभाव को स्वीकार किया है। शेष 228 मामलों में, विभाग ने ₹ 1,415.74 करोड़ के कर प्रभाव वाले 61 मामलों को स्वीकार किया है, जब कि नौ मामलों को ₹ 89.89 करोड़ (पैरा 2.4.4 में संदर्भित) के कर प्रभाव वाले नौ मामलों को स्वीकार नहीं किया है। 316 मामलों में से, आयकर विभाग ने ₹ 4,894.45 करोड़ के कर प्रभाव वाले 221 मामलों में सुधारात्मक कार्यवाही पूरी कर ली है और ₹ 230.26 करोड़ के कर प्रभाव वाले 27 मामलों में सुधारात्मक कार्यवाही शुरू की है।

3.2 निर्धारणों की गुणवत्ता

3.2.1 निर्धारण अधिकारियों (निर्धारण अधिकारी) ने अधिनियम में स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद निर्धारण में त्रुटियां कीं। गलत निर्धारणों के ये मामले आयकर विभाग के आंतरिक नियंत्रणों की लगातार कमजोरियों को इंगित करते हैं जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर संबोधित करने की आवश्यकता है। आय और कर की संगणना में अंकगणितीय त्रुटियों वाले गलत निर्धारण के मामलों को केलकुलेटर और कम्प्यूटर के समय में मात्र त्रुटियों के रूप में स्वीकार करना कठिन है। इसके अतिरिक्त कर और अधिभार की गलत दरों का लागू करना, ब्याज के उद्ग्रहण में चूकें, अधिक या अनियमित प्रतिदाय आदि के

⁵⁸ एएसटी मॉड्यूल एक ऑनलाइन, मेनू संचालित सॉफ्ट वेयर है जो सभी निर्धारण और संबंधित कार्यों को पूरा करने में सक्षम है।

⁵⁹ आईटीबीए एक सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन है जिसे आयकर विभाग की सभी आंतरिक प्रक्रियाओं को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए विकसित किया गया है।

उद्ग्रहण में गलतियां या तो अदक्षता अथवा गलती के साथ-साथ आयकर विभाग में आंतरिक नियंत्रण में कमियों की ओर इंगित करते हैं जिसे सम्बोधित किए जाने की आवश्यकता है। आयकर विभाग यह सुनिश्चित करे कि क्या ध्यान में आए अनियमितताओं के दृष्टांत की गयी या हुई त्रुटियां हैं जिसमें की गई त्रुटियों वाले मामलों में विधि के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तालिका 3.1 में गलतियों की उप-श्रेणियों का विवरण दिखाया गया है (परिशिष्ट 2.3 देखें) जिसने निर्धारणों की गुणवत्ता को प्रभावित किया।

| तालिका 3.1: निर्धारणों की गुणवत्ता के अंतर्गत गलतियों की उप-श्रेणिया (₹ करोड़ में) | | | |
|--|-----------|-----------------|---|
| उप-श्रेणियां | मामले | कर प्रभाव | राज्य |
| क. आय और कर की गणना में अंक-गणितीय त्रुटियां | 24 | 96.00 | दिल्ली, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। |
| ख. कर और अधिभार की गलत दर का लागू करना | 11 | 196.83 | दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। |
| ग. ब्याज के उद्ग्रहण में गलतियाँ | 3 | 4.07 | गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। |
| घ. अधिक या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदाय पर ब्याज | 5 | 1,114.29 | कर्नाटक और महाराष्ट्र। |
| ङ. अपीलीय आदेश को प्रभावित करते हुए निर्धारण में गलतियां | 8 | 66.41 | दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। |
| कुल | 51 | 1,477.60 | |

3.2.2 आय और कर की गणना में अंक-गणितीय त्रुटियां

हमने आठ राज्यों में ₹ 96.0 करोड़ के कर प्रभाव वाले 24 मामलों में आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियों को देखा।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143 (3) में यह प्रावधान है कि निर्धारण अधिकारी लिखित रूप में एक आदेश द्वारा निर्धारिती की कुल आय या हानि का निर्धारण करता है और उसके द्वारा देय राशि या इस तरह के निर्धारण के आधार पर उसको देय किसी राशि का प्रतिदाय अवधारित करता है जो ऐसे साक्ष्य को ध्यान में रखने के बाद किया जाता है जो निर्धारिती प्रस्तुत कर सके और ऐसे अन्य साक्ष्य जिसकी निर्धारण अधिकारी को निर्दिष्ट बिंदुओं पर आवश्यकता हो सकती है और सभी प्रासंगिक सामग्रियों को ध्यान में रखने के बाद जो उसने इकट्ठा की है।

हमने ऐसे चार निदर्शी मामले नीचे दिये हैं ।

3.2.2.1 प्र.सीआईटी-एलटीयू, मुंबई प्रभार, महाराष्ट्र में, निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम के सामान्य प्रावधान के अंतर्गत ₹ 314.21 करोड़ की आय का निर्धारण करते हुए दिसंबर 2017 में धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए एक कंपनी का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि निर्धारण आदेश के पैरा 16 में सभी स्रोतों से आय को एकत्रित करते हुए, आंकड़ा ₹ 341.21 करोड़ के सही आंकड़े के बजाय ₹ 314.21 करोड़ था। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 27 करोड़ की आय का अवनियोजन हुआ, जिसमें ब्याज सहित ₹ 12.21 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा अभियुक्त को स्वीकार किया और अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि (मई 2018) को सुधार लिया।

3.2.2.2 प्र.सीआईटी ग्वालियर प्रभार, मध्य प्रदेश में, निर्धारण अधिकारी ने धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए एक कंपनी का निर्धारण अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 4.03 करोड़ की आय पर मार्च 2014 में शुरू में पूरा किया। इसके बाद, ₹ 18.55 करोड़ को जोड़ कर दिसंबर 2016 में धारा 263 के अंतर्गत ₹ 22.58 करोड़ यह आय को संशोधित किया गया। इसके अलावा नकद लेन-देन के अलग मुद्दे पर धारा 147 के अंतर्गत मामला फिर से खोल दिया गया और दिसंबर 2017 में धारा 147 के साथ पठित धारा 144 के अंतर्गत अघोषित/अस्पष्टीकृत नकद जमा के आधार पर ₹ 8.47 करोड़ को जोड़कर ₹ 12.50 करोड़ पर आय का पुनः निर्धारण किया गया। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि निर्धारण अधिकारी, धारा 147 के साथ पठित धारा 144 के अंतर्गत दिसंबर 2017 में पुनर्निर्धारण को पूरा करते समय धारा 263 (दिसंबर 2016) के अंतर्गत किए गए ₹ 18.55 करोड़ के बढ़ाने पर विचार नहीं किया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 18.55 करोड़ की आय का कम निर्धारण किया गया था, जिसमें धारा 234ए और 234बी के अंतर्गत ब्याज सहित ₹ 10.01 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण शामिल था। आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत त्रुटि (दिसंबर 2018) को सुधारा।

3.2.2.3 प्र.सीआईटी, मुजफ्फरनगर प्रभार, उत्तर प्रदेश में, निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए धारा 143 (3)/144 के अंतर्गत सितंबर 2017 में एक कंपनी का निर्धारण पूरा किया, जिसमें रिटर्न में दर्शायी गयी हानि के प्रति ₹ 3.03 करोड़ का संवर्धन करने के बाद ₹ 2.55 करोड़ की हानि अवधारित की गयी। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि निर्धारण अधिकारी ने, निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए, निर्धारिती द्वारा दाखिल किए गए रिटर्न के अनुसार ₹ 1.23 करोड़ की

हानि के वास्तविक आंकड़े के बजाय ₹ 5.57 करोड़ की रिटर्न में दर्शायी गयी हानि के आंकड़े की गलत गणना की। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 2.54 करोड़ की हानि का अधिक निर्धारण किया गया और ₹ 1.80 करोड़ की आय का कम निर्धारण किया गया (जिसके प्रति ₹ 1.80 करोड़ की सीमा तक अग्रेनीत हानि को समायोजित किया जा सकता है) जिसमें ₹ 1.41 करोड़ के संभावित कर प्रभाव को शामिल किया गया। आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा अभियुक्ति को स्वीकार किया और अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि (फरवरी 2019) को सुधार लिया।

3.2.2.4 प्र.सीआईटी-1, सूरत प्रभार, गुजरात में, निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2017 में धारा 144 के तहत ₹ 17.44 करोड़ की कुल आय का निर्धारण करते हुए निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए एक कंपनी का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए, इस आधार पर ₹ 61.25 करोड़ का मूल्यहास रोक दिया कि यह साबित करने के लिए कोई सामग्री उपलब्ध नहीं थी कि निर्धारिती वास्तव में कारोबार के उद्देश्य से परिसंपत्ति का उपयोग कर रहा था। निर्धारिती ने उपयोग में लाई गई उस मशीनरी की खरीद के लिए बिल और वाउचर और उक्तस्थायी परिसम्पत्तियों के संबंध में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए थे जिन पर मूल्यहास का दावा किया था। हालाँकि, निर्धारित आय की गणना करते समय निर्धारण अधिकारी ने स्वयं द्वारा अननुमत ₹ 61.25 करोड़ के बदले केवल ₹ 35.31 करोड़ को जोड़ा। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 25.94 करोड़ (₹ 61.25 करोड़ - ₹ 35.31 करोड़) की आय का कम निर्धारण हुआ, जिसके फलस्वरूप ब्याज सहित ₹ 11.72 करोड़ का कर कम लगाया गया। आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा अभियुक्ति को स्वीकार किया (सितंबर 2018)।

3.2.3 कर और अधिभार की गलत दरों का लागू करना

हमने पांच राज्यों में ₹ 196.83 करोड़ के कर प्रभाव वाले 11 मामलों में कर और अधिभार की गलत दरों के लागू करने को देखा।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 4(1) में यह प्रावधान है कि संबंधित वित्त अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित दरों के अनुसार, एक निर्धारिती के पिछले वर्ष की कुल आय के संबंध में प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए आयकर प्रभार्य है। निर्धारण वर्ष 2012-13 से संबंधित वित्त अधिनियम विदेशी कंपनियों के मामले में आयकर पर दो प्रतिशत की दर से अधिभार लगाने का प्रावधान करता है यदि निवल आय एक करोड़ रुपये से अधिक है।

हमने एक निदर्शी मामला नीचे दिया है।

3.2.3.1 सीआईटी (आईटी)-3, मुंबई प्रभार, महाराष्ट्र में, निर्धारण अधिकारी ने एक अप्रवासी बैंकिंग कंपनी का निर्धारण पूरा किया, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में नियमित था तथा बैंकिंग और ट्रेजरी ऑपरेशन की गतिविधियों में लगी थी, जो कि नि.व. 2012-13 के लिए अप्रैल 2016 में संवीक्षा के बाद स्थानांतरण कीमत निर्धारण आदेश के कारण कुछ अतिरिक्त जोड़-तोड़ करने के बाद ₹ 899.68 करोड़ की कुल आय अवधारित करते हुए किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती की कर मांग की गणना करते समय, 40 प्रतिशत पर कर और 2 प्रतिशत पर अधिभार की लागू दर के प्रति 30 प्रतिशत की दर से कर और 5 प्रतिशत पर अधिभार लगाया था। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि कर की गणना मैनुअल रूप से की गई थी और एएसटी के माध्यम से नहीं। लेखापरीक्षा एएसटी के बजाय मैनुअल रूप से कर मांग की गणना करने के कारण का पता नहीं लगा सका। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 86.18 करोड़ के कर और अधिभार का कम उद्ग्रहण हुआ था। आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत कर की दर और अधिभार से संबंधित त्रुटि को सुधार दिया। हालांकि, आयकर विभाग ने यह नहीं बताया कि क्या भविष्य में ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कोई कार्यवाही की गई थी।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 4(1), यह प्रावधान करती है कि संबंधित वित्त अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित दरों के अनुसार, एक निर्धारिती के पिछले वर्ष की कुल आय के संबंध में प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए आयकर प्रभार्य है। निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए संबंधित वित्त अधिनियम में आयकर पर तीन प्रतिशत की दर से शिक्षा उपकर लगाने का प्रावधान है।

हमने एक निदर्शी मामला नीचे दिया है।

3.2.3.2 प्र.सीआईटी-4 बंगलौर प्रभार, कर्नाटक में, निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 144सी तथा 92सीडी के साथ पठित धारा 143(3) के अन्तर्गत जनवरी 2018 में नि.व. 2012-13 के लिए ₹ 3,573.04 करोड़ की आय का निर्धारण करते हुए एक कंपनी का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती की कर देयता की गणना करते समय, तीन प्रतिशत की लागू दर के प्रति एक प्रतिशत की दर से गलत तरीके से शिक्षा उपकर लगाया। इसके अलावा, धारा 234बी के अंतर्गत ब्याज की गणना में भी गलती देखी गई। इन गलतियों के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 45.57 करोड़ का कर कम लगाया गया था।

आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि को सुधार लिया (जून 2018)। हालांकि, धारा 154 के अंतर्गत सुधार आदेश पारित करते समय, निर्धारण अधिकारी ने अग्रिम कर के अवधारण के लिए धारा 234सी के अंतर्गत ₹ 11.27 करोड़ का ब्याज नहीं लगाया।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 4(1), यह प्रावधान करती है कि संबंधित वित्त अधिनियम के तहत निर्धारित दरों के अनुसार, एक निर्धारिती के पिछले वर्ष की कुल आय के संबंध में प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए आयकर प्रभार्य है। निर्धारण वर्ष 2016-17 से संबंधित वित्त अधिनियम में घरेलू कंपनियों के मामले में आयकर पर 12 प्रतिशत की दर से अधिभार लगाने का प्रावधान है, यदि निवल आय ₹ 10 करोड़ से अधिक है।

हमने एक निदर्शी मामला नीचे दिया है।

3.2.3.3 प्र.सीआईटी-2, जबलपुर प्रभार, मध्य प्रदेश में, निर्धारण अधिकारी ने नि.व. 2016-17 के लिए मार्च 2018 में ₹ 6,272.07 करोड़ की आय का निर्धारण करने के बाद, एक कंपनी का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि निर्धारण अधिकारी, आयकर गणना फॉर्म (आईटीएनएस-150) में निर्धारिती की कर देयता की गणना करते हुए, 12 प्रतिशत की दर पर उद्ग्रहण ₹ 225.79 करोड़ के बजाय 10 प्रतिशत की दर गलत तरीके से ₹ 188.16 करोड़ का अधिभार लगाया। परिणामस्वरूप, धारा 234बी के अंतर्गत ब्याज और शिक्षा उपकर का भी क्रमशः ₹ 9.30 करोड़ और ₹ 1.13 करोड़ तक कम उद्ग्रहण था। इस त्रुटि के कारण ₹ 48.06 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ था। आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा अभियुक्ति को स्वीकार किया (मार्च 2019)।

3.2.4 ब्याज के उद्ग्रहण में गलतियां

हमने तीन राज्यों में ₹ 4.07 करोड़ के कर प्रभाव वाले तीन मामलों में ब्याज के उद्ग्रहण में त्रुटियों को देखा।

अधिनियम की धारा 234डी के प्रावधानों के अनुसार, जहां धारा 143 की उप धारा (1) के अंतर्गत निर्धारिती को कोई भी प्रतिदाय दिया जाता है और बाद में नियमित रूप से निर्धारण करने पर कोई प्रतिदाय देय नहीं पाया जाता है या पहले से दिया गया प्रतिदाय अधिक पाया जाता है, प्रतिदाय देने की तारीख नियमित निर्धारण करने की तारीख तक के लिए इस प्रकार वापस की गई अतिरिक्त राशि पर आधा प्रतिशत की दर से निर्धारिती ब्याज के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त उप धारा (2) के अनुसार जहां धारा 154 के अंतर्गत एक आदेश के परिणामस्वरूप, धारा 143 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रतिदाय अनुदान की राशि को पूरी तरह से या आंशिक रूप से, जैसा भी मामला हो, सही ढंग से रखने की अनुमति दी जाती है, तब, उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रभार्य ब्याज, यदि कोई हो, तदनुसार कम हो जाएगा।

इसके अलावा, धारा 220(2) में यह प्रावधान है कि, यदि धारा 156 के अंतर्गत मांग के किसी भी नोटिस में देय राशि के रूप में निर्दिष्ट राशि का नोटिस देने के 30 दिनों की अवधि के अंतर्गत भुगतान नहीं किया जाता है तो निर्धारित दर के अनुसार और अधिनियम में निर्दिष्ट अवधि के लिए निर्धारित साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

हमने एक निदर्शी मामला नीचे दिया है।

3.2.4.1 प्र.सीआईटी-1, कोलकाता प्रभार, पश्चिम बंगाल में, निर्धारण अधिकारी ने मई 2014 में ₹ 138.14 करोड़ की आय का निर्धारण करते हुए धारा 143(3)/144सी के अंतर्गत नि.व. 2010-11 के लिए एक कंपनी का निर्धारण पूरा किया। निर्धारण आदेश को आगे धारा 143(3)/263/144सी के तहत दिसंबर 2017 में ₹ 148.77 करोड़ की राशि में संशोधित किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि मई 2014 में पारित मूल निर्धारण आदेश के अनुसार, प्रतिदाय के अधिक भुगतान के लिए धारा 234डी के अंतर्गत ₹ 1.77 करोड़ के ब्याज का उद्ग्रहण करने के बाद ₹ 15.35 करोड़ की निवल मांग निर्धारित की गई थी। इसके अलावा, निर्धारित ने सितंबर 2015 में ₹ 17.65 करोड़ का कुल कर अदा किया, जिसमें सितंबर 2015 में विभाग द्वारा यथानिर्धारित 15 महीनों के लिए धारा 220(2) के अंतर्गत ₹ 2.30 करोड़ का ब्याज शामिल था। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि निर्धारण अधिकारी ने धारा 263/143(3) के अंतर्गत संशोधन आदेश के बाद निवल मांग का निर्धारण करते हुए, गलत तरीके से अधिनियम की धारा 234डी और 220(2) के अंतर्गत ₹ 4.07 करोड़ के ब्याज पर विचार नहीं किया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 2.49 करोड़ के कर का अब प्रभार हुआ। आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि को सुधार लिया (अक्टूबर 2018)।

3.2.5 अधिक या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदाय पर ब्याज

हमने दो राज्यों में ₹ 1,114.29 करोड़ के कर प्रभाव वाले अधिक या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदाय पर ब्याज से संबंधित पांच मामलों को देखा।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 244ए (1) (ए) में, प्रतिदाय की राशि पर निर्धारण वर्ष के पहले दिन से प्रतिदाय प्रदान की तारीख तक एक निर्दिष्ट दर पर ब्याज के उद्ग्रहण का प्रावधान है, जहां कर के अधिक भुगतान के कारण प्रतिदाय उद्धृत होता है।

हमने एक निदर्शी मामला नीचे दिया है।

3.2.5.1 पीसीआईटी-4, बेंगलोर प्रभार, कर्नाटक में, निर्धारित कंपनी के लिए नि.व. 2010-11 और 2011-12 का अंतिम निर्धारण आदेश अधिनियम की

धारा 144सी और 92सीडी के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत जनवरी 2018 में क्रमशः ₹ 2030.82 करोड़ और ₹ 2,151.43 करोड़ की आय का निर्धारण करके किया गया। लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि नि.व. 2010-11 और 2011-12 के लिए क्रमशः जुलाई 2011 और अक्टूबर 2012 की तिथि में धारा 143(1) के अधीन ₹ 291.38 करोड़ और ₹ 170.98 करोड़ के प्रतिदाय को अंतिम निर्धारण आदेश को पारित करते समय शामिल नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप दोनों निर्धारण वर्षों के लिए धारा 234बी और 234डी के अधीन ब्याज सहित ₹ 941.56 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण किया गया था। *आयकर विभाग ने धारा 154 के अधीन अपनी त्रुटि का सुधार किया (जून 2018)।*

3.2.6 अपीलीय आदेश को लागू करते समय निर्धारण में त्रुटियाँ

हमने पाँच राज्यों में ₹ 66.41 करोड़ के कर प्रभाव में शामिल आठ मामलों में अपीलीय आदेशों को लागू करते समय निर्धारण में त्रुटियाँ पाई।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 254 यह प्रावधान करती है कि, अपीलीय न्यायाधिकरण, इस धारा के अधीन पारित किए गए किसी भी आदेश की एक प्रतिलिपि, निर्धारिती और प्रधान मुख्य आयुक्त को भेजेगा। इसके अलावा, आयकर विभाग के कार्यालय प्रक्रियाओं के मैनुअल (खंड-II तकनीकी) के अध्याय 18 के पैरा 24.1 में यह प्रावधान है कि निर्धारण अधिकारी के कार्यालय में अपीलीय आदेश के प्राप्त होने के बाद, आदेश के मद्देनजर निर्धारण के संशोधन हेतु तत्काल कदम उठाए जाएँ।

हमने दो निदर्शी मामले नीचे दिये हैं ।

3.2.6.1 सीआईटी एलटीयू बेंगलोर प्रभार, कर्नाटक में, निर्धारण अधिकारी ने नि.व. 2010-11 2011-12 और 2012-13 के लिए कंपनी के संबंध में अपीलीय आदेश को लागू करते हुए जनवरी 2018, मार्च 2018 और मार्च 2018 में क्रमशः ₹ 409.73 करोड़, ₹ 132.81 करोड़, और ₹ 30.28 करोड़ का प्रतिदाय तथा अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के अधीन, कटौती की अनुमति के बाद ₹ 360.55 करोड़, ₹ 351.50 करोड़ और ₹ 3.94 करोड़ की आय को निर्धारित किया। लेखापरीक्षा में यह पता चला कि निर्धारण अधिकारी ने धारा 36(1)(viiए) के अधीन कटौती की गणना करते समय कुल औसत अग्रिम (एएए) के 10 प्रतिशत की गणना, आईटीएटी के आदेश के अनुसार नि.व. 2010-11 और 2011-12 के लिए क्रमशः ₹ 202.07 करोड़ तथा ₹ 278.98 करोड़ के बजाय ₹ 239.04 करोड़ तथा ₹ 300.19 करोड़ की। इसके अलावा, नि.व. 2012-13 के लिए धारा 36(1)(viiए) के अधीन कटौती को ₹ 447.02 करोड़, के बजाय ₹ 414.08 करोड़ (लाभ और हानि लेखा में डेबिट

संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान) तक प्रतिबंधित किया जाना था। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप, ₹ 40.65 करोड़ (पूर्वोक्त आंकलन वर्षों के लिये क्रमशः ₹ 18.41 करोड़ + ₹ 7.05 करोड़ + ₹ 15.19 करोड़) के कुल कर प्रभाव सहित ₹ 36.97 करोड़, ₹ 21.21 करोड़ और ₹ 32.94 करोड़ की कटौती की अतिरिक्त अनुमति हुई। आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 154 के अधीन त्रुटि का सुधार किया (नवम्बर 2018)।

3.2.6.2 प्र.सीआईटी-4 कोलकाता प्रभार, पश्चिम बंगाल में, निर्धारण अधिकारी ने मार्च 2001 में नि.व. 1998-99 की संवीक्षा करने के बाद ₹ 74.27 करोड़ की हानि का निर्धारण करते हुए कंपनी के निर्धारण को पूर्ण किया। बाद में निर्धारण आदेश को, ₹ 63.60 करोड़ की कुल राहत प्रदान करते हुए ₹ 131.61 करोड़ की निवल हानि पर जुलाई 2016 में, अपीलीय आदेश की धारा 254/264/154/143(3) के तहत प्रभावी करके पारित किया गया। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि निर्धारिती ने निर्धारण के दौरान, धारा 36(1)(iii) के अधीन ₹ 72.14 करोड़ की अस्वीकृति के प्रति सीआईटी (अपील) के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी और दिसम्बर 2013 में ₹ 8.54 करोड़ की राहत प्राप्त की। इसके अलावा, निर्धारिती ने सीआईटी (अपील) के आदेश के प्रति आईटीएटी के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी। दिसम्बर 2015 में पारित अपने अपीलीय आदेश में आईटीएटी ने निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए परिवर्धन को हटा दिया और इस तरह कुल ₹ 72.14 करोड़ की राहत प्रदान की। हालाँकि, यह पता चला कि निर्धारण अधिकारी ने अपीलीय आदेश को प्रभावी करते समय ₹ 72.14 करोड़ की कुल राहत के प्रति केवल ₹ 63.60 करोड़ की राहत प्रदान की। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप, 2.99 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 8.54 करोड़ की हानि का कम निर्धारण हुआ। आईटीडी ने धारा 154/254/264/143(3) के अधीन आदेश पारित करके त्रुटि का सुधार किया (जून 2018)।

3.3 कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन

3.3.1 अधिनियम के अध्याय VI-ए के अधीन तथा इसके प्रासंगिक प्रावधानों के तहत व्यय की कुछ श्रेणियों हेतु और कुल आय की संगणना में निर्धारिती के लिए रियायतों/छूटों/कटौतियों को अनुमति प्रदान करता है। हमने पाया कि निर्धारण अधिकारी ने उन लाभार्थियों के कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के लाभ को अनियमित रूप से बढ़ाया, जो इसके हकदार नहीं थे। ये अनियमितताएँ आयकर विभाग की ओर से कर रियायतों/कटौतियों/छूटों के प्रबंधन में कमियों को इंगित करती हैं, जिनपर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन उप-श्रेणियों के

ब्यौरे तालिका 3.2 में दर्शाए गए हैं जिससे कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के प्रबंधन प्रभावित हुए।

| तालिका 3.2: कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के प्रबंधन के तहत वृद्धियों की उप-श्रेणियाँ | | | (₹ करोड़ में) |
|--|------------|-----------------|---|
| उप-श्रेणी | सं. | टीई | राज्य |
| क. मूल्यहास/ व्यापारहानियों/ पूजीगत हानियों की अनुमति देने में अनियमितताएँ | 75 | 2,655.15 | आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार, दिल्ली, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। |
| ख. अनियमित छूटों/कटौतियाँ/रिबेट/ राहत/मैट क्रेडिट | 52 | 2,037.22 | आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। |
| ग. व्यापार व्यय की गलत अनुमति | 49 | 764.39 | आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। |
| कुल | 176 | 5,456.76 | |

3.3.2 कारोबार/पूजीगत हानियों के मूल्याहास और समंजन और अग्रेषण की अनुमति प्रदान करने में अनियमितताएँ

हमने, 13 राज्यों में ₹ 2,655.15 करोड़ के कर प्रभाव सहित 75 मामलों में कारोबार/पूजीगत हानियों के मूल्याहास और समंजन और अग्रेषण की अनुमति प्रदान करने में अनियमितताएँ पाई गईं।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 72 में प्रावधान है कि, जहाँ कारोबार या व्यापार के लाभ और हानि शीर्ष के तहत संगणना के सकल परिणाम में निर्धारित को हानि होती है और मूल्याहास सहित इस प्रकार की हानि का संबंधित वर्ष के किसी भी शीर्ष के तहत आय हेतु पूर्ण रूप से समंजन नहीं किया जा सकता, इसलिए अत्यधिक हानि, जिसका समंजन नहीं किया गया हो, को 'कारोबार और व्यवसाय के लाभ और हानियों' हेतु समंजन किया जाएगा। इसके अलावा धारा 80 में यह प्रावधान है कि आयकर रिटर्न निर्धारित समय के भीतर दर्ज नहीं होने पर किसी भी हानि के अग्रेषण या समंजन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

हमने ऐसे तीन निदर्शी मामले नीचे दिये हैं ।

3.3.2.1 प्र. सीआईटी-I, पटना प्रभार, बिहार में, निर्धारण अधिकारी ने फरवरी 2015 में अधिनियम की धारा 143(3) के तहत नि.व. 2012-13 के लिए कंपनी के निर्धारण को शून्य आय (₹ 343.48 करोड़ के मूल्याहास हानि की अनुमति) पर पूर्ण किया और बाद में दिसम्बर 2017 में अधिनियम की

धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के तहत शून्य आय पर संशोधित किया तथा ₹ 2,547.31 करोड़ की संपूर्ण निर्धारित हानि के अग्रेषण की अनुमति प्रदान की। लेखापरीक्षा ने यह पाया कि नि.व. 2012-13 के लिए निर्धारिती को ₹ 343.48 करोड़ की मूल्यहास हानि सहित ₹ 2,293.95 करोड़ की व्यापार हानि हुई थी। इसके अलावा, आईटीआर शेड्यूल और गणना शीट से यह पाया गया कि आगे के वर्षों के अग्रेषण के लिए निर्धारिती ने केवल ₹ 343.48 करोड़ की मूल्यहास हानि का दावा किया। हालाँकि, निर्धारण अधिकारी ने पुनः निर्धारण को पूर्ण करते समय ₹ 90.12 करोड़ के अधिक मूल्यहास की अनुमति नहीं दी और ₹ 2,547.31 करोड़ की कुल हानि को अग्रेषण की अनुमति दी गई, जो सही नहीं थी क्योंकि इस मामले में आय के रिटर्न की फाइलिंग की निर्धारित तिथि के बाद 12 मार्च 2014 को विलंब से आईटीआर दायर किया गया था। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 744.27 करोड़ के संभावी कर प्रभाव सहित ₹ 2,293.95 करोड़⁶⁰ की हानि का अतिरिक्त अग्रेषण हुआ।

3.3.2.2 सीआईटी (एलटीयू), मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, निर्धारण अधिकारी ने नि.व. 2014-15 के लिए फरवरी 2018 में धारा 144सी(3) के साथ पठित धारा 143(3) के तहत कंपनी का अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत ₹ 6,401.23 करोड़ की हानि का निर्धारण किया और धारा 115जेबी के विशेष प्रावधानों के तहत ₹ 233.21 करोड़ के बुक लाभ का निर्धारण पूर्ण किया। अधिनियम की धारा 115बीबीडी के तहत ₹ 1,375.84 करोड़ के कर का उदग्रहण हुआ था। निर्धारण आदेश में कुल आय की गणना से यह देखा गया कि विभाग ने 'गृह संपत्ति से आय', 'कम अवधि के पूंजीगत लाभ' और 'अन्य स्रोतों से आय' शीर्षों के तहत आय के समंजन के बाद ₹ 6,401.24 करोड़ की व्यापार हानि निकाला। लेखापरीक्षा जाँच से यह पता चला कि निर्धारिती को शीर्ष 'लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ' (एलटीसीजी) के तहत ₹ 1,381.24 करोड़ की आय हुई और उसे 'लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ' (एलटीसीजी) शीर्ष के तहत अग्रेषण के साथ समंजन की अनुमति दी गई। हालाँकि, अधिनियम की धारा 71(2) के तहत एलटीसीजी को पहले चालू वर्ष की व्यापार हानि के प्रति समंजन की आवश्यकता थी। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप, ₹ 469.52 करोड़ के संभावी कर प्रभाव सहित ₹ 1,381.34 करोड़ की व्यापार हानि का अतिरिक्त अग्रेषण हुआ। आयकर

⁶⁰ (₹ 2,547.31 करोड़ - ₹ 343.48 करोड़ + ₹ 90.12 करोड़)

विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति की स्वीकार किया (जून 2018) और अधिनियम की धारा 154 के तहत त्रुटि को सुधारा (मई 2018)।

3.3.2.3 प्र. सीआईटी-1, कोलकाता प्रभार, पश्चिम बंगाल में, निर्धारण अधिकारी ने नि.व. 2015-16 के लिए ₹ 859.75 करोड़ की जिसमें, ₹ 139.10 करोड़ का अनवशोषित मूल्यहास सम्मिलित था, की निवल हानि का निर्धारण करते हुए दिसम्बर 2017 में कंपनी का संवीक्षा निर्धारण पूर्ण किया। लेखापरीक्षा जाँच में यह पाया गया कि निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती को आगामी वर्षों के लिए संपूर्ण हानि के अग्रेषण की अनुमति प्रदान की। हालाँकि निर्धारिती ने अक्टूबर 2015 की देय तिथि के प्रति देरी से मार्च 2017 में आय रिटर्न को दायर किया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 244.95 करोड़ के संभावी कर प्रभाव सहित ₹ 720.65 करोड़ (₹ 859.75 करोड़ - ₹ 139.10 करोड़) की व्यापार हानि का अनियमित अग्रेषण हुआ। आयकर विभाग द्वारा अधिनियम की धारा 154 के तहत सुधारात्मक कार्यवाही की गई (अगस्त 2018)।

आयकर अधिनियम 1961, की धारा 32(1)(ii)ए में यह प्रावधान है कि किसी भी नई मशीनरी या प्लांट के विषय में, (जहाज और एअर क्राफ्ट को छोड़ कर) जो 31.03.2005 के बाद अधिग्रहण हुआ हो जिसका निर्धारिती, जो किसी उत्पाद या वस्तु के उत्पादन या निर्माण कार्य में लगा हो या व्यापार को उत्पन्न करने या विद्युत के उत्पादन व वितरण में लगा हो, द्वारा अधिग्रहण किया गया हो तो खंड (ii) के तहत उस मशीनरी या प्लांट के वास्तविक मूल्य के बीस प्रतिशत के बराबर अन्य राशि की कटौती की अनुमति दी गई है।

हमने एक निदर्शी मामला नीचे दिया है ।

3.3.2.4 प्र. सीआईटी-2, बडौदा प्रभार, गुजरात में, निर्धारण अधिकारी ने नि.व. 2014-15 के लिए धारा 143(3) के तहत ₹ 282.72 करोड़ की कुल हानि का निर्धारण करते हुए सितम्बर 2016 में कंपनी का संवीक्षा निर्धारण पूर्ण किया। लेखापरीक्षा जाँच में यह पता चला कि निर्धारिती कंपनी ने दावा किया था तथा उसे निर्धारण अधिकारी द्वारा प्लांट और मशीनरी पर ₹ 749.26 करोड़ के मूल्यहास की अनुमति दी गई जिसमें वर्ष के दौरान हुए परिवर्धन के लिए जिसमें ₹ 190.48 करोड़ का अतिरिक्त मूल्यहास सम्मिलित था। चूंकि निर्धारिती कंपनी, विद्युत के वितरण और उत्पादन या उत्पादन के व्यापार में शामिल न होकर बिजली के वितरण के व्यापार में संलग्न थी अतः निर्धारिती कंपनी, अतिरिक्त मूल्यहास के लिए अयोग्य थी। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप, ₹ 64.75 करोड़ के संभावी कर के कम उदग्रहण सहित ₹ 190.48 करोड़ की हानि का अतिरिक्त निर्धारण हुआ।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (जनवरी 2020) और बताया कि अधिनियम की धारा 263 के तहत आदेश पारित करके सुधारात्मक कार्यवाही की गई (मार्च 2019)।

3.3.3 अनियमित छूटें/कटौतियाँ/रिबेट/रियायत/मैट क्रेडिट

हमने 11 राज्यों में, ₹ 2,037.22 करोड़ के कर प्रभाव सहित 52 मामलों में अनियमित छूटें/कटौतियाँ/रिबेट/रियायत/मैट क्रेडिट को पाया।

आयकर अधिनियम की धारा 115 जेएए, जब सामान्य प्रावधानों के तहत देय कर, विशेष प्रावधानों के तहत कर से अधिक है। तब एक निर्धारिती को मैट क्रेडिट के अग्रोषण की अनुमति देती है। तथापि, इस प्रकार का क्रेडिट अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत और अधिनियम के विशेष प्रावधानों के तहत कर के अंतर तक सीमित होगा।

हमने एक निदर्शी मामला नीचे दिया है ।

3.3.3.1 प्र. सीआईटी-एलटीयू चेन्नई प्रभार, तमिलनाडु में, निर्धारण अधिकारी ने नि.व. 2011-12 के लिए मार्च 2014 में कंपनी का निर्धारण पूर्ण किया और दिसम्बर 2017 में ₹ 837.37 करोड़ की कुल आय पर उसे दोबारा शुरू व पूर्ण किया गया। इसके बाद, फरवरी 2018 में नि.व. 2010-11 से संबंधित ₹ 66.53 करोड़ का मैट क्रेडिट देने के लिए निर्धारण को धारा 154 के अन्तर्गत संशोधित किया गया। लेखापरीक्षा जाँच में यह पता चला कि, नि.व. 2010-11 के लिए कोई मैट क्रेडिट उपलब्ध नहीं था, क्योंकि मार्च 2016 में, धारा 147 के तहत पारित किए गए आदेश के पुनः निर्धारण के बाद, नि.व. 2010-11 के लिए सामान्य प्रावधानों के तहत कर का उदग्रहण किया गया। मैट क्रेडिट की अनियमित अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 66.53 करोड़ के कर का कम उदग्रहण किया गया। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (दिसम्बर 2019) और यह बताया कि अधिनियम की धारा 154 के तहत सुधारात्मक कार्यवाही की गई है (सितम्बर 2019)।

आयकर अधिनियम, 1961 (एक्ट)की धारा 35 (2एबी) में यह प्रावधान है कि जहाँ एक कंपनी किसी सामग्री या वस्तु (अधिनियम की ग्यारहवी अनुसूची के तहत निदिष्ट सामग्री के अलावा) का किसी व्यापार में निर्माण या उत्पादन करती है या बॉयो-तकनीकी के व्यापार में सलग्न हो या किसी वैज्ञानिक अनुसंधान पर कोई व्यय करती हो (किसी भूमि या भवन की लागत की प्रकृति में व्यय के रूप में नहीं), किसी इन-हाउस अनुसंधान और विकास सुविधा पर जो निर्धारित प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत हो, तब किए गए व्यय के 200 प्रतिशत की राशि के बराबर कटौती की अनुमति प्रदान की जाएगी।

हमने ऐसे दो निदर्शी मामले नीचे दिये हैं ।

3.3.3.2 सीआईटी एलटीयू, बेंगलोर प्रभार, कर्नाटक में नि.व. 2014-15 के लिए धारा 144सी के तहत फरवरी 2018 में ₹ 1,237.64 करोड़ की आय का निर्धारण करते हुए कंपनी के निर्धारण को पूर्ण किया गया था। लेखापरीक्षा को यह पता चला कि डीएसआईआर61 ने फार्म सं. 3 सीएल में धारा 35(2एबी) के तहत कटौती योग्य आरएंडडी व्यय के रूप में ₹ 22.42 करोड़ की राशि का सत्यापन किया, जो निवल आरएंडडी प्राप्तियाँ थीं। इसके अलावा, फार्म 3सीडी भी यह सत्यापन करता है कि केवल निवल व्यय ही कटौती के योग्य था। इस प्रकार, निर्धारिती ₹ 135.61 करोड़ के बजाय ₹ 44.84 करोड़ (200 प्रतिशत) की भारित कटौती के योग्य था। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 31.78 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 90.77 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। *आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (अप्रैल 2019)।*

3.3.3.3 पीसीआईटी-15 मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, निर्धारण अधिकारी ने नि.व. 2013-14 के लिए अधिनियम की धारा 143(3) के साथ पठित धारा 144 सी(3) के तहत ₹ 749.11 करोड़ की आय पर कंपनी का निर्धारण पूर्ण किया। लेखापरीक्षा जांच में यह पता चला कि, निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती की कर माँग की गणना करते समय नि.व. 2010-11 से संबंधित ₹ 19.13 करोड़ के मैट क्रेडिट की अनुमति प्रदान की। हालाँकि, नि.व. 2010-11 के लिए निर्धारिती को आगामी वर्ष में समंजन के लिए कोई मैट क्रेडिट उपलब्ध नहीं था, क्योंकि कर का उद्ग्रहण उक्त निर्धारण वर्ष के लिए सामान्य प्रावधानों के तहत किया गया था। मैट क्रेडिट की अनियमित अनुमति के फलस्वरूप धारा 234बी के तहत ब्याज सहित ₹ 29.65 का कर प्रभाव हुआ। *आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और नवम्बर 2018 में एक परिशोधन आदेश पारित करके सुधारात्मक कार्यवाही की।*

3.3.4 व्यवसाय व्यय की गलत अनुमति

हमने 12 राज्यों में ₹ 764.39 करोड़ के कर प्रभाव वाले व्यवसाय व्यय की गलत अनुमति से संबंधित 49 मामले पाए।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी के तहत, निर्धारिती द्वारा भुगतान की गई किसी भी राशि को किसी भी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान, बैंक आदि से उधार लिए गए ब्याज के रूप में, पिछले वर्ष में कटौती के रूप में ही अनुमति केवल तभी दी जाती है, यदि राशि वास्तव में पिछले वर्ष के दौरान भुगतान किया गया हो। धारा के स्पष्टीकरण 3सी ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी ब्याज को ऋण में परिवर्तित किया गया है या उधार लिया गया है तो उसे वास्तव में भुगतान नहीं माना जाएगा। यह भी स्पष्ट रूप से सीबीडीटी परिपत्र सं. 7/2006 दिनांक 17 जुलाई 2006 में वर्णित किया गया है।

⁶¹ वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

हमने एक निदर्शी मामला नीचे दिया है ।

3.3.4.1 प्र. सीआईटी-1, चेन्नई प्रभार, तमिलनाडु में, निर्धारण अधिकारी ने नि.व. 2015-16 के लिए दिसम्बर 2017 में ₹ 10.53 करोड़ की हानि का निर्धारण करते हुए कंपनी का संवीक्षा निर्धारण पूर्ण किया। लेखापरीक्षा जाँच में यह पता चला कि, निर्धारिती ने दीर्घ अवधि के ऋण पर ₹ 5.40 करोड़ के बैंक ब्याज को डेबिट किया है। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने यह देखा कि यह ब्याज 'वित्तपोषित ब्याज अवधि ऋण' (एफआईटीएल) में परिवर्तित किया गया था और वर्ष के दौरान कोई भुगतान नहीं किया गया था। इसलिए उक्त ब्याज स्वीकार्य व्यय नहीं था। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 1.67 करोड़ के संभावी कर सहित ₹ 5.40 करोड़ की हानि की अतिरिक्त अनुमति हुई। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (दिसम्बर 2019) और यह बताया कि अधिनियम की धारा 263 के तहत सुधारात्मक कार्यवाही की गई है (नवम्बर 2019)।*

आयकर अधिनियम की धारा 43बी के अनुसार, निर्धारिती द्वारा किसी भी ऋण, ब्याज के रूप में देय राशि या किसी भी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक कॉरपोरेशन या अनुसूचित बैंक के अनुसार, इस तरह के ऋण या उधार या अग्रिम को नियंत्रित करने वाले समझौते की शर्तों को आयकर की गणना के लिए कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा उक्त धारा के तहत स्पष्टीकरण 3डी के अनुसार, किसी भी राशि के ब्याज भुगतान में कटौती की अनुमति तभी दी जाएगी यदि ऐसे ब्याज का वास्तव में भुगतान किया गया हो और उपरोक्त संदर्भित कोई भी ब्याज जिसे ऋण या अग्रिम से परिवर्तित किया गया है, उसे वास्तव भुगतान किया हुआ नहीं माना जाएगा।

हमारे द्वारा एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:

3.3.4.2 पीसीआईटी केन्द्रीय, हैदराबाद प्रभार, आंध्रप्रदेश और तेलंगाणा में (अब यह मामला पीसीआईटी-1, हैदराबाद प्रभार के पास है), निर्धारण अधिकारी ने नि.व. 2015-16 के लिए संवीक्षा के बाद ₹ 313.86 करोड़ की हानि का निर्धारण करते हुए अप्रैल 2016 में एक कंपनी का निर्धारण पूर्ण किया। लेखापरीक्षा को यह पता चला कि, निर्धारिती एक कॉरपोरेट डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग (सीडीआर) योजना में शामिल हुआ है और ₹ 413.86 करोड़ (पीएंडएल खाते में डेबिट) के ब्याज हिस्से को निधिगत ब्याज अवधि ऋण (एफआईटीएल) में परिवर्तित कर दिया गया है। लेखापरीक्षा जाँच में यह पता चला कि, निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय ₹ 413.86 करोड़ में से केवल ₹ 65.39 करोड़ को वापस जोड़ा जबकि एफआईटीएल के रूप में परिवर्तित संपूर्ण राशि को भुगतान नहीं किया हुआ माना जाना चाहिए था और धारा 43बी के तहत स्पष्टीकरण 3डी के अनुसार आय में वापस जोड़ा जाएगा। इस

त्रुटि के कारण ₹ 118.45 करोड़ (₹ 11.76 करोड़ सकारात्मक कर + ₹ 106.68 संभावी कर) के कर प्रभाव सहित ₹ 348.47 करोड़ की आय का कम निर्धारण किया गया। मंत्रालय ने आंशिक रूप से लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (दिसम्बर 2019) और यह बताया कि अधिनियम की धारा 263 के साथ पठित धारा 143 के तहत सुधारात्मक कार्यवाही की गई है (जुलाई 2019)।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143 (3) में यह प्रावधान है कि एक संवीक्षा निर्धारण में, निर्धारण अधिकारी को निर्धारिती की कुल आय अथवा हानि का सही निर्धारण करने और ऐसे निर्धारण के आधार पर उसके द्वारा भुगतान की गई या उसे वापस करने योग्य सही राशि को निर्धारित करने की आवश्यकता है।

हमने एक निदर्शी मामला नीचे दिया है ।

3.3.4.3 पीसीआईटी 3 प्रभार, दिल्ली में, निर्धारण अधिकारी ने नि.व. 2015-16 के लिए ₹ 99.61 लाख की आय का निर्धारण करते हुए दिसम्बर 2017 में कंपनी के संवीक्षा निर्धारण को पूर्ण किया। लेखापरीक्षा जाँच में यह पता चला कि निर्धारिती ने ₹ 6.0 करोड़ के 'बिक्री रिटर्न के लिए प्रावधान' बनाए थे। लाभ और हानि खाते के असाधारण वस्तुओं के नोट सं. 30(ए) के अनुसार, मार्च 2014 तक असाधारण वस्तुओं के रूप में ₹ 2.62 करोड़ की राशि बताई गई थी और वर्तमान वर्ष से संबंधित ₹ 3.38 करोड़ को बिक्री से समायोजित किया गया था। इस प्रकार, निर्धारिती ने ₹ 6.0 करोड़ को प्रावधान का दावा किया और उसे अनुमति दी गई, जिसे अनिश्चित दायित्व के लिए प्रावधान हेतु अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप, ब्याज सहित ₹ 2.59 करोड़ के कर के कम उदग्रहण सहित ₹ 6.0 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। आयकर विभाग ने फरवरी 2019 में धारा 154 के तहत आदेश पारित करके सुधारात्मक कार्यवाही की।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी के अनुसार, इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में कुछ भी शामिल न होने के बावजूद, निर्धारिती द्वारा किसी भी ऋण या अग्रिम को शासित करने वाले करार के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार निर्धारित बैंक से किसी ऋण या अग्रिम पर ब्याज के रूप में देय किसी भी राशि के संबंध में इस अधिनियम के तहत कटौती केवल पिछले वर्ष में ही स्वीकार्य होगी, जिसमें ऐसी राशि का भुगतान किया गया है।

हमने एक निदर्शी मामला नीचे दिया है ।

3.3.4.4 प्र. सीआईटी-5, मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, निर्धारण अधिकारी ने नि.व. 2015-16 के लिए ₹ 9.66 करोड़ की हानि की रिटर्न को स्वीकार करते हुए नवम्बर 2017 में एक कंपनी की संवीक्षा के पश्चात निर्धारण पूर्ण किया।

लाभ व हानि लेखों के 'नोट 20' (वित्त प्रभार) की लेखापरीक्षा जाँच में यह पता चला कि 'उधारी पर ब्याज'के प्रति ₹ 42.70 करोड़ की राशि डेबिट की गई थी। इसके अलावा, 'कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट' (फार्म 3 सीडी) के खंड 26(i)(बी)(बी) के अनुसार 'पिछले वर्ष में अनुसूचित बैंकों से ऋण पर ब्याज प्राप्त हुआ ओर जिसका भुगतान, नियत तिथि पर या उससे पूर्व नहीं किया गया', इसलिए धारा 43बी के तहत ₹ 34.81 करोड़ पर अनुमति प्रदान करने योग्य नहीं थी। हालाँकि, निर्धारिती ने अपनी आय की गणना करते समय ₹ 34.81 करोड़ के बजाय केवल ₹ 21.34 करोड़ के ब्याज को कम किया था और इसे निर्धारण आदेश में स्वीकार किया गया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप, ₹ 4.58 करोड़ के संभावी कर प्रभाव सहित ₹ 13.47 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (फरवरी 2020) और सितम्बर 2019 में धारा 154 के तहत सुधारात्मक कार्यवाही की।*

3.4 त्रुटियों के कारण निर्धारणों से छूटने वाली आय

3.4.1 अधिनियम यह प्रावधान करता है कि किसी विगत वर्ष हेतु किसी व्यक्ति की कुल आय में वास्तविक रूप से प्राप्त अथवा संचित या प्राप्त या संचित मानी गई सभी आय, चाहे वे किसी स्रोत से प्राप्त है, शामिल होंगी। हमने अवलोकन किया कि निर्धारण अधिकारी ने कर के लिए प्रस्तावित होने वाली कुल आय का निर्धारण नहीं किया/कम निर्धारण किया। तालिका 3.3 उन उप-श्रेणियों को दर्शाती है जिनके परिणामस्वरूप आय निर्धारण से रह गई।

| तालिका 3.3: त्रुटियों के कारण निर्धारणों से छूटने वाली आय के अंतर्गत त्रुटियों की उप-श्रेणियां | | | | (₹ करोड़ में) |
|--|--------|-----------|---|---------------|
| उप-श्रेणियां | संख्या | कर प्रभाव | राज्य | |
| क. विशिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित न की गई/कम निर्धारित की गई आय | 22 | 447.85 | आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। | |
| ख. सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित न की गई/कम निर्धारित की गई आय | 29 | 242.22 | आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, बिहार, दिल्ली, गोवा, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। | |
| ग. पूंजीगत प्राप्ति का गलत वर्गीकरण तथा संगणना | 5 | 14.04 | तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। | |
| घ. आर्म्स लेथ कीमत का गलत अंकलन | 13 | 290.81 | दिल्ली और कर्नाटक। | |

| | | | |
|--|-----------|-----------------|--|
| ड. टीडीएस/टीसीएस के प्रावधानों को लागू करने में त्रुटि | के 8 | 48.49 | बिहार, दिल्ली झारखंड, कर्नाटक और महाराष्ट्र। |
| कुल | 77 | 1,043.41 | |

3.4.2 विशेष प्रावधानों के तहत निर्धारित न की गई/कम निर्धारित की गई आय

हमने यह पाया कि निर्धारण अधिकारी ने 10 राज्यों में ₹ 447.85 करोड़ के कर प्रभाव वाले 22 मामलों में विशेष प्रावधानों के तहत या तो आय का निर्धारण नहीं किया या कम निर्धारण किया गया।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 जेबी यह प्रावधान करती है कि यदि सामान्य प्रावधानों के तहत संगणित कुल आय पर देय आयकर मेट से कम हो तो बुक लाभ की निर्धारित प्रतिशतता पर न्यूनतम वैकल्पिक कर (मेट) का उद्ग्रहण होता है।

हमने दो ऐसे निदर्शी मामले नीचे दिये हैं ।

3.4.2.1 प्र. सीआईटी-एलटीयू, चेन्नई प्रभार, तमिलनाडु में, निर्धारण अधिकारी ने धारा 115जेबी के विशेष प्रावधानों के तहत ₹ 12.20 करोड़ का लाभ बुक किया और सामान्य प्रावधानों के तहत आय का 'शून्य' निर्धारण करते हुए नि.व. 2015-16 के लिए दिसम्बर 2017 में एक कंपनी के संवीक्षा निर्धारण को पूर्ण किया। लेखापरीक्षा जाँच में यह पाया गया कि निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण को पूरा करते समय, ₹ 27.93 करोड़ के रिटर्नड बुक लाभ के बजाय ₹ 5.17 करोड़ के रिटर्नड बुक लाभ को लेते हुए ₹ 7.03 करोड़ का परिवर्धन करने के बाद ₹ 12.20 करोड़ के रूप में बुक लाभ निकाला । इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने यह पाया कि आयकर संगणना फार्म में निर्धारिती की कर देयता की गणना करते हुए बुक लाभ को ₹ 34.96 करोड़ (₹ 27.93 करोड़ + ₹ 7.03 करोड़) की सही राशि के बजाय ₹ 27.93 करोड़ को लिया गया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 1.47 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। *मंत्रालय ने इसे स्वीकार किया (दिसम्बर 2019) और धारा 154 के तहत अगस्त 2019 में सुधारात्मक कार्रवाही की।*

3.4.2.2 प्र. सीआईटी-2, बड़ौदा प्रभार, गुजरात में, निर्धारण अधिकारी ने नि.व. 2014-15 के लिए दिसम्बर 2016 में सामान्य प्रावधानों के तहत ₹ 17.55 करोड़ की आय का निर्धारण करते हुए कंपनी का निर्धारण पूर्ण किया और धारा 115जेबी के विशेष प्रावधानों के तहत ₹ 49.88 करोड़ का बुक लाभ निर्धारित किया। लेखापरीक्षा ने यह पाया कि, निर्धारिती ने परिसंपत्तियों पर 15 प्रतिशत की दर से मूल्यहास का दावा किया, जिसपर सब्सिडी/अनुदान

प्राप्त हुए थे। इसके अलावा, निर्धारण आदेश से यह भी पता चला कि निर्धारिती कंपनी को अपने लाभ और हानि लेखों में 10 प्रतिशत अर्थात् ₹ 102.54 करोड़ के बजाय सब्सिडी/अनुदान के 15 प्रतिशत अर्थात् ₹ 153.81 करोड़ की संगणना करनी पड़ी जिसके परिणामस्वरूप लाभ और हानि लेखे को ₹ 51.27 करोड़ का कम हस्तांतरण किया गया। हालाँकि, निर्धारण अधिकारी ने बुक लाभ की गणना करते समय सब्सिडियों/अनुदानों में अस्वीकृती के अंतर की वजह से ₹ 51.27 करोड़ के बजाय केवल ₹ 24.22 करोड़ का परिवर्धन किया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप मैट के तहत ₹ 7.66 करोड़ के कर के कम उद्ग्रहण के साथ ₹ 27.04 करोड़ के बुक लाभ का कम निर्धारण हुआ। *मंत्रालय ने इसे स्वीकार किया (फरवरी 2020) और जुलाई 2019 में धारा 154 के तहत सुधारात्मक कार्यवाही की।*

3.4.3 सामान्य प्रावधानों के तहत आय का निर्धारण न होना/कम निर्धारण होना

हमने यह पाया कि निर्धारण अधिकारी ने 14 राज्यों में ₹ 242.22 करोड़ के कर प्रभाव वाले 29 मामलों में सामान्य प्रावधानों के तहत आय का निर्धारण नहीं किया या आय का कम निर्धारण किया।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) में यह प्रावधान है कि निर्धारण अधिकारी, लिखित में एक आदेश द्वारा, निर्धारिती की कुल आय या हानि का निर्धारण करेगा और उसके द्वारा भुगतान योग्य राशि या उसे देय किसी राशि के प्रतिदाय को, इस तरह के निर्धारण को उन साक्ष्यों के आधार पर करेगा, जो निर्धारिती द्वारा पेश किए जाएँ और ऐसे अन्य साक्ष्य जिसे निर्धारण अधिकारी निर्दिष्ट समय पर आवश्यक करें तथा सभी प्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखते हुए जो उसने इकट्ठा किए हों;

हमने एक निदर्शी मामला नीचे दिया है ।

3.4.3.1 प्र.सीआईटी-3, बेंगलोर प्रभार, कर्नाटक में, नि.व. 2012-13 के लिए धारा 143(3) के तहत ₹ 11,860.23 करोड़ के आय का निर्धारण करते हुए फरवरी 2017 में एक कंपनी के संवीक्षा निर्धारण को पूर्ण किया। लेखापरीक्षा जाँच में यह पता चला कि आस्ट्रेलियन सहायक कंपनी से लाभांश आय को ₹ 484 करोड़ (विशिष्ट वस्तु) को लाभ तथा हानि लेखों में करों के निवल के रूप में दर्शाया गया है। हालाँकि, आय गणना विवरण में, व्यवसाय की आय की गणना करते समय आस्ट्रेलियाई सहायक कंपनी से लाभांश आय को लाभ तथा हानि के क्रेडिट के रूप में ₹ 484 करोड़ की राशि निवल कर को अपनाने के बजाय ₹ 578.32 करोड़ की सकल राशि (कर सहित) पर निर्धारिती द्वारा गलत तरीके से किया गया था और इसे निर्धारण में अनुमति दी गई

थी। इसके परिणामस्वरूप, धारा 234बी के तहत ब्याज सहित ₹ 48.66 करोड़ के कर प्रभाव को शामिल करते हुए ₹ 94.32 करोड़ की व्यवसाय आय का कम निर्धारण हुआ। आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया (जून 2018) कि विस्तृत लाभ और हानि लेखे में ₹ 578.32 करोड़ की एक राशि को विदेशी सहायक कंपनी से लाभांश से राजस्व के रूप में दर्शाया गया है और परिणामस्वरूप निवल लाभ का ₹ 8,469.85 करोड़ के बुक लाभ के साथ मिलान किया गया जिसे करदाता बुक्स में प्रस्तुत किया गया और यह आयकर गणना का शुरुआती बिंदु है। इसलिए, यह लेखापरीक्षा अभ्युक्ति गलत है कि व्यवसाय आय को कम बताया गया था। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विस्तृत लाभ और हानि लेखों ने विदेशी सहायक कंपनियों (₹ 578.32 करोड़) से दोनों लाभांश की राशि को दर्शाया और ₹ 94.32 करोड़ के कराधान के लिए तदनुसार प्रावधान है जबकि कोई तदनुसार कर प्रावधान न होने पर ₹ 484 करोड़ की निवल राशि पर उन्हें संक्षिप्त लाभ और हानि लेखों में दर्शाया गया। इस प्रकार, यदि विदेशी सहायक कंपनियों से लाभांश से राजस्व को सकल मूल्य माना जाए तो ₹ 94.32 करोड़ के प्रावधान की तदनुसार राशि के भी वापस परिवर्धन की आवश्यकता थी। संयोगवश, उस आगामी वर्ष अर्थात् वि.व. 2012-13 के लिए निर्धारिती के लाभ और हानि लेखा से भी देखा गया था जिसमें विगत वर्ष अर्थात् वि.व. 2011-12 के लिए आंकड़े फिर से एकत्रित किए गए थे तथा उपरोक्त लाभांश आय को ₹ 578 करोड़ (अर्थात् सकल लाभांश) पर और ₹ 94.32 करोड़ सहित कर के लिए एक साथ प्रावधान जिसने लेखापरीखा के विवाद की पुष्टि की, को दर्शाया गया है।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 5 में यह प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति जो कि एक निवासी है, की विगत वर्ष की कर योग्य आय में उसे सभी स्रोत से आय जोकि प्राप्त हुई है या प्राप्त हुई जानी जाती है या जमा होती या विगत वर्ष के दौरान उसे प्राप्त होती शामिल है।

हमने एक निदर्शी मामला नीचे दिया है।

3.4.3.2 प्र.सीआईटी, मेरठ प्रभार, उत्तर प्रदेश में, निर्धारण अधिकारी ने ₹ 315.05 करोड़ की हानि पर दिसम्बर 2017 में नि.व. 2015-16 हेतु कंपनी का निर्धारण पूरा किया जिसे बाद में अधिनियम की धारा 251 के तहत दी गई अपील प्रभाव के बाद जून 2018 में ₹ 1,491.41 करोड़ की हानि तक संशोधित किया था। लेखापरीक्षा जांच में यह पता चला कि निर्धारिती कंपनी ने विगत वर्ष में वि.व. 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए क्रमशः ₹ 75.96 करोड़, ₹ 65.55 करोड़ और ₹ 145.60 करोड़ की परिचालन हानि के

लिए आर्थिक सहायता प्राप्त की। यद्यपि ₹ 145.60 करोड़ की राशि कर के लिए प्रस्तुत की, लेकिन ₹ 141.51 करोड़ (₹ 75.96 करोड़ + ₹ 65.55 करोड़) की कुल आर्थिक सहायता को कराधान के लिए विचार नहीं किया गया था। इसके अलावा, वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पूर्व अवधि बॉन्ड से संबंधित प्रतिपूर्ति पर ₹ 136.10 करोड़ के ब्याज को भी कर के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया था। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 94.36 करोड़ के संभावित कर सहित ₹ 277.61 करोड़ (₹ 141.51 करोड़ + ₹ 136.10 करोड़) की आय का कम निर्धारण हुआ। आयकर विभाग ने धारा 154 के तहत त्रुटि का सुधार किया (अगस्त 2018)।

3.4.4 पूंजीगत लाभ की अनुचित संगणना/वर्गीकरण

हमने तीन राज्यों में ₹ 14.04 करोड़ के कर प्रभाव वाले पाँच मामलों से संबंधित पूंजीगत लाभ की अनुचित संगणना/वर्गीकरण पाया।

आयकर अधिनियम की धारा 50सी(1) में, जहाँ किसी पूंजीगत परिसंपत्ति का एक निर्धारित द्वाारा भूमि या भवन या दोनों पर हस्तांतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भूत प्रतिफल, अपनाए गए मूल्य या निर्धारण से कम है या राज्य सरकार (इसके बाद इस धारा में 'स्टॉफ़ मूल्यांकन प्राधिकरण' के रूप में संदर्भित) के किसी भी प्राधिकारी द्वारा ऐसे हस्तांतरण के संबंध में स्टॉप शुल्क के भुगतान के उद्देश्य से निर्धारित था, धारा 48 के उद्देश्य से अपनाए गए या निर्धारित या निर्धारित मूल्य को इस तरह से हस्तांतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त होने वाले या प्रोद्भूत प्रतिफल का पूरा मूल्य समझा जाना चाहिए।

हमने एक निदर्शी मामला नीचे दिया है।

3.4.4.1 प्र.सीआईटी-1, कोलकाता प्रभार, पश्चिम बंगाल में, निर्धारण अधिकारी ने नि.व. 2014-15 के लिए दिसम्बर 2016 में ₹ 135.48 करोड़ की निवल आय पर संवीक्षा के बाद कंपनी का निर्धारण पूर्ण किया। लेखापरीक्षा जाँच में यह पता चला कि निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण को पूर्ण करते समय, ₹ 3.16 करोड़ के लघु अवधि पूंजीगत लाभ की गणना की जिसकी गणना ₹ 8.02 करोड़ की बिक्री आय लेते हुए की गई। हालाँकि, लघु अवधि पूंजीगत लाभ की गणना फ्लैट के स्टॉप शुल्क मूल्यांकन अर्थात् ₹ 9.91 करोड़ पर अधिनियम के प्रावधान की आवश्यकतानुसार की जानी चाहिए थी। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 65.67 लाख के कर प्रभाव वाले ₹ 1.89 करोड़ का लघु अवधि पूंजीगत लाभ का कम निर्धारण किया गया। आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार की।

3.4.5 आर्म्स लेथ कीमत का गलत आंकलन

हमने दो राज्यों में ₹ 290.81 करोड़ के कर प्रभाव वाले 13 मामलों में संबंधित आर्म्स लेथ कीमत के गलत आंकलन को पाया।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 92 सीए में यह प्रावधान है कि जहाँ कोई भी व्यक्ति, निर्धारिती होने के नाते, किसी भी विगत वर्ष में एक अंतरराष्ट्रीय लेनदेन में प्रवेश कर चुका है और निर्धारण अधिकारी इसे आवश्यक या ऐसा करने को समीचीन मानता है, ऐसा वह 'ट्रांसफर प्राइसिंग आफिसर' (टीपीओ) को उक्त अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के संबंध में 'आर्म्स लेथ प्राइस' की गणना से संदर्भित कर प्रिंसिपल कमिश्नर की विगत मंजूरी के साथ कर सकता है। धारा 92सी(1) में यह प्रावधान है कि एक अंतरराष्ट्रीय संव्यहार के संबंध में आर्म्स लेथ कीमत को संव्यवहार की प्रकृति या श्रेणी या सहयोगी व्यक्तियों की श्रेणी द्वारा किए गए कार्यों या ऐसे अन्य संबंधित कारकों जैसा भी बोर्ड वर्णित करे, संबंध रखने वाली सबसे उपयुक्त प्रक्रिया होने के नाते किसी भी प्रक्रिया द्वारा निश्चित किया जाएगा। धारा 92सी(4) के तहत प्रावधान यह प्रदान करता है कि आय की गणना के बाद आय की राशि जिसके द्वारा निर्धारिती की कुल आय में वृद्धि हो, अध्याय VIए के तहत किसी कटौती की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।

हमने एक निदर्शी मामला नीचे दिया है।

3.4.5.1 सीआईटी-(2) प्रभार, दिल्ली में, निर्धारण अधिकारी ने नि.व. 2014-15 के लिए एक कंपनी का मामला, निर्धारिती द्वारा घरेलू लेन-देन में प्रवेश करने के संबंध में आर्म्स लेथ प्राइस (एएलपी) के निर्धारण के लिए सीआईटी (टीपीओ-1) प्रभार, दिल्ली के अधीन टीपीओ को भेजा। टीपीओ ने एएलपी का निर्धारण (अक्टूबर 2017), धारा 92सीए(3) के तहत निर्धारिती के संबंध में ₹ 415.57 करोड़ के बिजली के अंतर-इकाई लेनदेन के कारण अर्थात् विशिष्ट घरेलू लेनदेन के ऊपर की ओर समायोजन का प्रस्ताव देते हुए किया। तत्पश्चात सीआईटी-(2) दिल्ली प्रभार में, निर्धारण अधिकारी ने नि.व. 2014-15 के लिए, जनवरी 2018 में निर्धारिती का अधिनियम की धारा 115जेबी के विशिष्ट प्रावधानों के तहत ₹ 17.11 करोड़ पर और टीपीओ समायोजन पर कटौती और 'अन्य परिचालित आय' अनुमति देने के बाद अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत शून्य आय पर संवीक्षा निर्धारण पूर्ण किया। लेखापरीक्षा जाँच में यह पता चला कि टीपीओ ने वार्षिक औसत प्रक्रिया के अनुसार ₹ 501.47 करोड़ की सही राशि के स्थान पर बेची गई बिजली की प्रति यूनिट के अनुसार मासिक औसत प्रक्रिया को अपनाते हुए ₹ 415.57 करोड़ के गलत अपवर्ड समायोजन की गणना की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 85.89 करोड़ द्वारा एएलपी का कम समायोजन हुआ। टीपीओ ने, जुलाई 2018 में हस्तांतरण कीमत आदेश में संशोधन किया। लेखापरीक्षा को आगे यह भी पता चला कि, निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण को पूर्ण करते हुए धारा 80-1ए के तहत कटौती के रूप में संपूर्ण टीपीओ समायोजन को अनुमति प्रदान की जोकि अनुमति योग्य नहीं था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 248.85 करोड़ के कर के कम उद्ग्रहण सहित ₹ 501.47 करोड़

की आय का कम निर्धारण हुआ। आयकर विभाग ने धारा 154 के तहत एक आदेश पारित करके त्रुटि को सुधारा (फरवरी 2019)।

3.4.6 टीडीएस/टीसीएस प्रावधानों के क्रियान्वयन में त्रुटि

हमने पाँच राज्यों में ₹ 48.49 करोड़ के कर प्रभाव वाले आठ मामलों में टीडीएस/टीसीएस प्रावधानों के कार्यान्वयन में त्रुटि पाई।

धारा 143(3) में यह प्रावधान है कि निर्धारण अधिकारी को निर्धारिती की कुल आय या हानि का सही आंकलन करने और कर या प्रतिदाय की सही मात्रा निर्धारित करने, जैसा भी मामला हो, की आवश्यकता है।

हमने एक निदर्शी मामला नीचे दिया है।

3.4.6.1 पीसीआईटी (केन्द्रीय-2), मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, निर्धारण अधिकारी ने नि.व. 2014-15 के लिए अधिनियम की धारा 143(3) के तहत एक कम्पनी का ₹ 77.42 करोड़ की आय का निर्धारण दिसम्बर 2016 में पूर्ण किया। लेखापरीक्षा ने निर्धारण आदेश के पैरा-7 में यह पाया कि ₹ 17.73 करोड़ के कुल टीडीएस क्रेडिट दावे को, 'अनुबंधकर्त्ता अग्रिमों' और 'सामान और कार्य के प्रति अग्रिमों' के रूप में प्राप्त राशि के कारण निरस्त किया गया था। निर्धारिती को पूर्वोक्त क्रेडिट को छोड़ना पड़ा क्योंकि जिसके प्रति टीडीएस दिया गया था, उसके लिए प्राप्त अग्रिम को लाभ और हानि लेखे में क्रेडिट नहीं किया गया था। निर्धारण अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारिती ने ₹ 42.21 करोड़ का टीडीएस दावा किया था। जिसमें से विभाग ने ₹ 41.83 करोड़ के टीडीएस को अनुमति प्रदान की। इस प्रकार, यह प्रमाणित है कि यद्यपि निर्धारण आदेश में ₹ 17.73 करोड़ के टीडीएस दावे को अस्वीकार किया गया, तथापि आईटीएनएस ने इसे अनुमति दी थी। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप, समान राशि के कर प्रभाव सहित ₹ 17.73 करोड़ के टीडीएस दावे को अतिरिक्त अनुमति प्रदान की गई। आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 154 के तहत सुधारात्मक कार्यवाही की (अप्रैल 2018)।

आयकर अधिनियम, 1961 के 194-जे के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो पेशेवर सेवाओं के लिए किसी भी राशि हेतु किसी निवासी को भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है, वह तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क, रायल्टी, गैर प्रतिस्पर्धा शुल्क, निदेशक की फीस का दस प्रतिशत की दर से, जिसमें आय पर आयकर शामिल है, स्रोत पर कर में कटौती करेगा। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 40(ए)(i) के तहत धारा 30 से 38 के विपरित कुछ भी होने के बावजूद, एक निवासी को देय तकनीकी सेवाओं के लिए किसी शुल्क की आयकर में गणना करने में कटौती नहीं की जाएगी, जिसपर अध्याय XVII-बी के तहत स्रोत पर कर कटौती योग्य है और ऐसे कर की कटौती नहीं की गई है या कटौती के बाद भुगतान नियत तिथि पर या नियत तिथि से पहले नहीं किया गया है जैसा कि अधिनियम की धारा 139(1) में निर्दिष्ट है।

हमने एक निदर्शी मामला नीचे दिया है।

3.4.6.2 प्र. सीआईटी राँची प्रभार, झारखंड में, निर्धारण अधिकारी ने नि.व. 2014-15 के लिए ₹ 2.99 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2016 में एक कंपनी का संवीक्षा निर्धारण पूर्ण किया। लेखापरीक्षा को लाभ और हानि लेखे से यह पता चला कि निर्धारिती ने ₹ 15.52 करोड़ के पर्यवेक्षण प्रभार का भुगतान किया था। निर्धारिती खनन व्यवसाय में संलग्न था और खनन में पर्यवेक्षण प्रभार एक तकनीकी कार्य है। चूंकि पर्यवेक्षण प्रभार एक तकनीकी सेवा है, अतः किए गए भुगतान पर दस प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर कटौती की आवश्यकता थी। चूंकि निर्धारिती ने पर्यवेक्षण प्रभार के प्रति किए गए भुगतान पर स्रोत से कर की कटौती नहीं की, अतः उसे अस्वीकृत किया जाना चाहिए था और कराधान आय में वापस जोड़ा जाना चाहिए था। अस्वीकृति की इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 7.40 करोड़ के कर के कम उद्ग्रहण सहित ₹ 15.52 करोड़ के व्यय की गलत अनुमति प्रदान की गई। आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 144 के साथ पठित धारा 147 के तहत त्रुटि को सुधारा (दिसम्बर 2018)।

3.5 कर/ब्याज का अधिप्रभार

3.5.1 हमने यह पाया कि निर्धारण अधिकारी ने आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, दिल्ली, महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में ₹ 232.66 करोड़ के कर और ब्याज के अधिक प्रभार वाले 12 मामलों में आय का अधिक निर्धारण किया। हमने ऐसे दो निदर्शी मामले नीचे दिये हैं।

3.5.1.1 सीआईटी (छूट) मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, नि.व. 2012-13 के लिए व्यक्तियों के संघ (ट्रस्ट) का निर्धारण मूलतः मार्च 2015 में पूर्ण किया गया था और अधिनियम की धारा 250 के साथ पठित धारा 143(3) के तहत ₹ 1,345.65 करोड़ की आय का निर्धारण करते हुए जून 2017 में अपीलीय आदेश को प्रभावी करते समय पुनः निर्धारण किया। आईटीएनएस 150ए फार्म की लेखापरीक्षा जाँच से यह पता चला कि, ₹ 415.81 करोड़ की सही राशि के बजाय ₹ 512.85 करोड़ के एएसटी के माध्यम से सीआईटी (ए) आदेश को प्रभाव देते समय भुगतान योग्य कर की गणना की गई। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 132.02 करोड़ (कर ₹ 97.04 करोड़ + धारा 234बी के तहत ब्याज ₹ 34.98 करोड़) के कर और ब्याज का अधिक उद्ग्रहण हुआ। इसके अलावा, एएसटी प्रणाली में कमी को भी संबोधित करने की आवश्यकता थी।

3.5.1.2 प्र.सीआईटी-1, भुवनेश्वर प्रभार, ओडिशा में नि.व. 2013-14 के लिए फरवरी 2016 में एक कंपनी का संवीक्षा निर्धारण को पूर्ण किया गया

जिसे बाद में मार्च 2016 में धारा 154 के तहत ₹ 1,614.62 करोड़ की कुल आय पर संशोधित किया था। इस मामले का दिसंबर 2017 में धारा 147/143(3) के तहत ₹ 1,851.92 करोड़ की कुल आय का निर्धारण करते हुए पुनः निर्धारण किया था। लेखापरीक्षा में यह पता चला कि पुनर्निर्धारण में निर्धारिती की आय की गणना करते समय दिनांक 23 मार्च 2016 को धारा 154 के तहत (अधिनियम की धारा 143(3) के तहत आदेश के अनुसार आय के रूप में गलत वर्णित) 'बिक्री आय को कम बताना' के कुल आय के निर्धारण के प्रति ₹ 197.30 करोड़ वापस जोड़े गए और ₹ 1,811.92 करोड़ की सही आय के बजाय ₹ 1,851.92 करोड़ पर कुल आय का निर्धारण किया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 26.61 करोड़ के अधिक कर उद्ग्रहण सहित ₹ 40 करोड़ की आय का अधिक निर्धारण हुआ। आयकर विभाग ने बताया (अप्रैल 2019) कि अधिनियम की धारा 250 के तहत प्रभाव देते हुए दिनांक 31 मार्च 2017 के सीआईटी (ए) के आदेश आईटीए सं. 0521/15-16 में उपरोक्त त्रुटि अर्थात् ₹ 40 करोड़ के अतिरिक्त परिवर्धन का भी संज्ञान लिया और तदनुसार एएसटी ने जनवरी 2019 में आदेश पारित किया।